



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-198 राँची, बुधवार, 26 फाल्गुन, 1942 (श०)
17 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

12 मार्च, 2021

संख्या-5/आरोप-1-7/2019-2388 (HRMS)-- श्री सोमनाथ बनर्जी, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-331, दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1476, दिनांक 22.11.2018 द्वारा प्रपत्र-क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(I) दिनांक 30.08.2017 को आयोजित जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में श्री दुर्गा जौहरी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पाटन प्रखण्ड के पाल्हेकला ग्राम में मनरेगा के अन्तर्गत सात अदद मुर्गी शेड योजना का निर्माण पूर्ण नहीं है, परन्तु राशि की निकासी कर ली गयी है। उक्त योजना में बरती गयी अनियमितता की जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन को देने हेतु आदेशित/निदेशित किया गया था। कई स्मार के बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन ने पत्रांक-1310, दिनांक 21.11.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत पाल्हेकला के ग्राम पाल्हेकला में सात मुर्गी शेड निर्माण किया गया है एवं मनरेगा जॉब कार्डधारी से कार्य कराया गया है। पुनः दिनांक 06.10.2018 को आयोजित जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन

समिति की बैठक में अनुपालन/जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में श्री दुर्गा जौहरी द्वारा विश्वासपूर्वक समिति को बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का प्रतिवेदन भ्रामक है, राशि की फर्जी निकासी की गयी है। माननीय मंत्री महोदय के निदेश के आलोक में माननीय 20 सूत्री उपाध्यक्ष एवं शिकायतकर्ता श्री दुर्गा जौहरी की उपस्थिति में निदेशक, एन0ई0पी0, पलामू को जाँच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। निदेशक, एन0ई0पी0, पलामू ने पत्रांक-1541, दिनांक 09.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में छः मुर्गी शेड का निर्माण नहीं कराये जाने एवं राशि की फर्जी निकासी किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(ii) श्री सोमनाथ बनर्जी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन ने जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को बगैर स्थलीय/अभिलेख जाँच किये, तथ्य को छुपाकर भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त कृत्य से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है।

(iii) श्री सोमनाथ बनर्जी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1882, दिनांक 18.02.2019 द्वारा श्री बनर्जी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री बनर्जी के पत्र, दिनांक 1.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री दुर्गा जौहरी, जिला 20 सूत्री सदस्य द्वारा 20 सूत्री की बैठक में शिकायत की गई थी कि पाटन प्रखण्ड के पालहेकला ग्राम में सात मुर्गी शेड नहीं बना है एवं राशि की निकासी कर ली गई है। उक्त शिकायत के आलोक में इनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन पालहेकला ग्राम हेतु समर्पित किया गया था, जबकि संयुक्त जाँच दल द्वारा पालहेकला पंचायत के महुलिया राजस्व ग्राम के संबंध में जाँच की गई है।

श्री बनर्जी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-2657(hrms), दिनांक 10.06.2019 द्वारा श्री बनर्जी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-198, दिनांक 03.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री बनर्जी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री बनर्जी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-1 के संदर्भ में आरोपी के विरुद्ध गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन देने का आरोप इस आधार पर सही नहीं संबंधी मंतव्य प्रेषित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत पालहेकला के ग्राम पालहेकला में निर्मित सात मुर्गी शेड का निर्माण कार्य किये जाने का प्रतिवेदन दिया गया था, न कि ग्राम पंचायत पालहेकला के ग्राम महुलिया का। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी अथवा आरोपी पदाधिकारी अथवा आरोपी

पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन/स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम पाल्हेकला के किन सात लाभुकों का मुर्गी शेड के निर्माण कार्य सम्पन्न होने संबंधी प्रतिवेदन आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदित योजनाओं में एक योजना-शांति देवी के खेत में मुर्गी शेड का निर्माण का क्रियान्वयन राजस्व ग्राम पाल्हेकला में स्वीकृत किया गया था, किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उक्त योजना के संबंध में कार्य पूर्ण न होने संबंधी कोई प्रतिवेदन अपने जाँच प्रतिवेदन में समर्पित नहीं किया गया, जबकि संयुक्त जाँच दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि शांति देवी के खेत में मुर्गी शेड का निर्माण स्थल पर नहीं किया गया है एवं इस योजना में प्राक्कलित राशि 31,007/- ₹0 के स्थान पर 62,737.00 ₹0 की फर्जी निकासी की गई है। अतः इस योजना के संदर्भ में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन देने का आरोप सही प्रतीत होता है एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का स्थल निरीक्षण स्वयं न कर कनीय अभियंता (मनरेगा) श्री प्रभंजन कुमार द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर योजनाओं के संबंध में उपायुक्त, पलामू को सूचना प्रेषित की गई। ज्ञातव्य है कि संयुक्त जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित सभी छः मुर्गी शेड निर्माण संबंधी योजनाओं में श्री प्रभंजन कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा) को फर्जी मापी पुस्त तैयार करने का दोषी प्रतिवेदित किया गया है।

(iii) मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री बनर्जी अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। योजनाओं में बिना कार्य के मापी पुस्त दर्ज होने एवं फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर भुगतान होने के कारण ही संयुक्त जाँच दल द्वारा 4,04,806.38 ₹0 फर्जी निकासी प्रतिवेदित की गई।

समीक्षोपरान्त, संचालन के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री बनर्जी के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-726, दिनांक 31.01.2020 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री बनर्जी के पत्र, दिनांक 09.06.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया है शिकायतकर्ता द्वारा मुर्गी शेड निर्माण योजना की संख्या बताई गई थी। चूँकि पाल्हेकला गाँव में लगभग 40 शेड का निर्माण किया गया था तथा शिकायतकर्ता द्वारा इनको सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, इसलिए इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 07 योजनायें पूर्ण हैं।

श्री बनर्जी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-4907, दिनांक 29.09.2020 द्वारा श्री बनर्जी से ग्राम पाल्हेकला में मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत मुर्गी शेड निर्माण योजनाओं संबंधी कौन-सी 07 योजनायें दिनांक 21.11.2017 तक पूर्ण हो चुकी थी, उनकी विवरणी साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। श्री बनर्जी के पत्र, दिनांक

28.12.2020 द्वारा ग्राम- पाल्हेकला के मनरेगा अन्तर्गत 07 योजनाओं से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति उपलब्ध करायी गई।

अतः, समीक्षोपरांत, श्री सोमनाथ बनर्जी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन (पलामू) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए इन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SOMNATH BANERJEE JHK/JAS/268	श्री सोमनाथ बनर्जी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन (पलामू) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए इन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सोमनाथ बनर्जी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
